

21-5-24

पत्रावली पेश हुई न्यायालय हाजा के
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 को
सुझने का क्षेत्राधिकार है। चूंकि अपील चारा
75-लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के अन्तर्गत आती है।
अब न्यायालय हाजा के इसका क्षेत्राधिकार
नहीं होने से न्यायालय उपरोक्त अधिनियम गिर्वा
को पुनः लौटाया जा रहा है। प्रकरण आगामी
पेशी दिनांक 2-7-24 को पेश हो।

my

